

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,

प्रधान कार्यालय: बी-2, ऑफिस काम्पलेक्स, तृतीय व चतुर्थ मंजिल, गौतम नगर, भोपाल-23
केन्द्र.....

बीज प्रमाणीकरण हेतु आवेदन-पत्र (आवेदन शुल्क-2/-)

1. आवेदक का नाम.....
ग्राम..... पो.आ.....
जिला.....
2. क्या आप अनुसूचित जाति के हैं, हां/नहीं जनजाति के हैं हां/नहीं
3. किस उत्पादक संस्था के माध्यम से किया गया है
4. खेत कहाँ पर है (स्पष्ट स्थिति राजमार्ग सहित दें).....
5. भूमि के आधिपत्य संबंधी विवरण (प्रमाण संलग्न करें).....
6. फसल का नाम..... किस्म.....
7. बोये गये बीज की श्रेणी..... प्रमाणित किस श्रेणी में होना है.....
.....
8. बोये गये बीज का लाट क्रमांक.....
9. बोई गई मात्रा क्विंटल में.....
10. उत्पादक संस्था द्वारा प्रदाय बीज का चालना क्र..... दिनांक.....
11. कितने क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है (हेक्टेयर में).....
12. बोनी की तिथि.....
13. टैग क्रमांक..... (टैग संलग्न है)
14. किस प्रक्रिया केन्द्र पर संसाधन करना है
-
15. पंजीयन शुल्क बैंक ड्राफ्ट नं.....
निरीक्षण शुल्क..... तारीख.....
बीज परीक्षण शुल्क राशि.....
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क.....
ग्रोआउट परीक्षण शुल्क.....
कुल योग रूपये

मैं म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करूंगा।

दिनांक.....

सम्बन्धित प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

पंजीयन शुल्क	फसल	किस्म	श्रेणी	ओवेदन मान्य /अमान्य	कारण

म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीज प्रमाणीकरण हेतु पंजीयन, प्रमाणीकरण शुल्क तथा अन्य सामान्य नियमों की जानकारी

1. प्रत्येक किस्म के लिये पृथक आवेदन पत्र देना आवश्यक है।
2. पंजीयन हेतु एक टैग मूल रूप से इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण आवेदक ने अपने आवेदन पत्र क्रमांक 13 में दिया है। शेष टैग ब्रीडर लेबल प्रथम निरीक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायें।
3. बोआई के 20 दिन के भीतर या अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र संस्था के संबंधित संभागीय कार्यालय में निर्धारित तिथि के भीतर पहुंच जाना चाहिए।
4. पंजीयन शुल्क प्रत्येक उत्पादक को एक ऋतु में केवल 25/- देय है जो मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के नाम किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।
5. (अ) प्रमाणीकरण शुल्क : विभिन्न उन्नतशील बीजों के प्रमाणीकरण हेतु निम्नानुसार निरीक्षण शुल्क आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के नाम किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम देय होगा।

क्र.	फसल का नाम	दर प्रति हेक्टेयर
1.	धान गेहूँ एवं स्वयं परागित फसलें	200/-
	हाईब्रिड-ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर	250/-
	हाईब्रिड कपास	750/-
	उन्नतशील कपास	250/-
	अन्य पर परागित फसलें	250/-
	सब्जियाँ	250/-

2. एक एकड़ से कम क्षेत्र को निरीक्षण शुल्क लेने के लिए पूर्ण एकड़ माना जावेगा। हाइब्रिड कपास में आधा एकड़ से कम क्षेत्र को आधा एकड़ एवं आधा एकड़ से एक एकड़ तक के क्षेत्र को एक एकड़ पूर्ण माना जाकर निरीक्षण शुल्क लिया जायेगा।

(ब) **बीज परीक्षण शुल्क** : प्रत्येक 200 क्विंटल बीज या उसके अंश के नमूने को जांच हेतु रू. 30/— प्रति नमूना देय होगा। बीज परीक्षण शुल्क संस्था के नाम किसी भी सहकारी/ राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निरीक्षण शुल्क के साथ अग्रिम जमा करना होगा।

(स) **बीज स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क** : गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, बीज स्वास्थ्य हेतु रू. 10/— प्रति नमूना अग्रिम देय होगा।

(द) **ग्रोआउट परीक्षण शुल्क** : आधार फसलों के पंजीयन में ग्रोआउट परीक्षण शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

6. प्रमाणीकरण केवल उन्हीं किस्मों का किया जावेगा जो भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित की गई हो।
7. बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया/नियम संस्था की **बीज प्रमाणीकरण की कार्यप्रणाली** नामक पुस्तिका में वर्णित है, जिसे संस्था के मुख्यालय से कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबंध संचालक